सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No NCST/DEV-2954/DL/2/2024-ESDW (SSW) Dated: 30.09.2024

To,

श्री संजय अरोरा
पुलिस आयुक्त,
दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली (110001)
Email Id: cp.sanjayarora@delhipolice.gov.in

Sub:- *अनुसूचित जनजाति की महिला को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Ground) के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा नौकरी ना देने के संबंध में - श्रीमती मीरा बाई मीना (पत्नी स्व. श्री नवीन मीना, उप निरीक्षक, बेल्ट न - डी/3921, PIS 16100190) निवासी-क्वार्टर नंबर-22, टाइप-III, द्वारका सेक्टर-17C, द्वारका, नई दिल्ली का दिनांक 12.06.2024 का अभ्यावेदन।*

महोदय,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the sitting held on 12.09.2024 at 5:20 PM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003 on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be intimated to NCST within stipulated time from receipt of the letter for placing it before the Commission.

Yours faithfully,

रा०मिश्र

(आर.एस.मिश्र / R.S. Misra)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:- 011-24641640

Copy for information:-

1. श्रीमती मीरा बाई मीना,
   निवासी-क्वार्टर नंबर-22, टाइप-III,
   सेक्टर-17C, द्वारका, नई दिल्ली
   Mobile No:7217739884
2. PS to Hon'ble Member (Dr. AL), NCST.
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

6th floor, 'B' Wing, Loknayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110 003

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2024 को सायं 05:20 बजे, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग मुख्यालय, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली की बैठक के कार्यवृत्त – श्रीमती मीरा बाई मीना, निवासी-क्वार्टर नंबर-22, टाइप-III, द्वारका सेक्टर-17C, द्वारका, नई दिल्ली को अनुकंपा नियुक्ति के आधार पर नौकरी देने के संबंध में।

फ़ाइल: NCST/DEV-2954/DL/2/2024-ESDW
बैठक की तिथि : 12.09.2024, सायं 05:20 बजे
प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

श्रीमती मीरा बाई मीना, निवासी-क्वार्टर नंबर-22, टाइप-III, द्वारका सेक्टर-17C, द्वारका, नई दिल्ली ने 12.06.2024 के अभ्यावेदन में आयोग को अवगत कराया है कि वह एक अनुसूचित जनजाति की विधवा महिला है। उनके पति स्वर्गीय श्री नवीन मीना, दिल्ली पुलिस में बतौर उपनिरीक्षक पद पर कार्यरत थे, उनकी तैनाती IGI Airport, नई दिल्ली पर थी। दिनांक 15.01.2023 को उनका ड्यूटि के दौरान ही आकस्मिक निधन हो गया, उनकी मृत्यु के समाचार से उनकी सास का भी निधन हो गया। अभ्यावेदिका आयोग को यह भी अवगत कराती है कि उनके 02 छोटे बच्चे है जिनकी उम्र क्रमश 06 वर्ष एवं 04 वर्ष है। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है उनके पास बच्चों की फीस भरने के पैसे भी नहीं है, और विभाग द्वारा उनको आवंटित सरकारी आवास भी खाली किए जाने का दबाव बनाया जा रहा है। अभ्यावेदिका ने अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Ground) के आधार पर नौकरी पाने के लिए दिल्ली पुलिस में Head Constable Ministerial पद के लिए आवेदन भी किया था लेकिन विभाग की और उनके आवेदन को यह कहकर मना कर दिया गया की उक्त पोस्ट के लिए वेकेंसी नहीं है। अभ्यावेदिका अवगत कराती है की वह स्नातक तक योग्यता रखती है और वह उक्त पद के लिए पात्र है।

उपरोक्त प्रकरण को NCST नोटिस दिनांक 19.06.2024 द्वारा पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली को 15 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या प्राप्त करने हेतु भेजा गया था। इस प्रकरण मे कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। आयोग ने इस मुद्दे पर 12.09.2024 को शाम 05:20 बजे पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस, पुलिस मुख्यालय, नई दिल्ली और याचिकाकर्ता के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया। इसकी सूचना आयोग के सिटिंग नोटिस दिनांक 5.09.2024 के द्वारा संबंधित अधिकारी एंव याचिकाकर्ता को दी गई।

बैठक में श्री कुमार ज्ञानेश, DCP, Welfare, दिल्ली पुलिस उपस्थित थे। याचिकाकर्ता भी उपस्थित थीं। डीसीपी, कल्याण ने

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

आयोग को बताया कि अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया प्रत्येक वर्ष बिंदुवार, वस्तुनिष्ठ तरीके से की जाती है। प्रत्येक आवेदक की आर्थिक स्थिति का आकलन किया जाता है और अंक दिए जाते हैं। इसके बाद सबसे जरूरतमंद उम्मीदवार को नियुक्ति दी जाती है। आयोग ने कहा कि याचिकाकर्ता वित्तीय कठिनाई का सामना कर रही है और उसके मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाना चाहिए।

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग ने निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा एक माह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा –

- दिल्ली पुलिस द्वारा विगत 2 वर्षों में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु प्रस्तावित अभ्यर्थियों एवं चयनित अभ्यर्थियों की सूची प्रदान करें।
- आवेदिका संबन्धित विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।
- आवेदिका की मानवीय एवं आर्थिक स्थिति को देखते हुए आवेदिका के अभ्यावेदन को प्राथमिकता दें एवं सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

आशा लकड़ा
25/09/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक 12.09.2024 को 5:20 बजे NCST में अनुसूचित जनजाति की महिला को अनुकंपा नियुक्ति (Compassionate Ground) के आधार पर दिल्ली पुलिस द्वारा नौकरी ना देने प्रकरण में उपस्थित अधिकारियों की सूची ।

I	**Binod Bhihari Mahto Kovalanchal University, Dhanbad**
	Shri Kumar Gyanesh, DCP/Welfare
	Shri Manoj Kumar Meena
II	**Petitioner**
	Smt. Meera Bai Meena